पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Tele fax: 2326696
Email: [illegible]

पत्र सं०-8बी/उ०प्र०/06/221/2021/एफसी/536 दिनांक: 26.09.22

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी किमी० चैनेज 51.510 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 954/11 सी-FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक 12.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का अवलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गई।

प्रकरण को दिनांक 15.09.2022 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 70 | UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार कतिपय बिन्दुओं पर प्रश्नों के कारण प्रकरण को deferred कर दिया गया है। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं/जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण को आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके:-

1. In lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted, 223.00 ha non-forest land has been provided out of this, only 41.36 ha NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus, the non-forest land needs to be rechecked and non-forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provided. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the area in degraded forest land needs to be proposed.
2. Since huge tree fellings is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road or along adjoining some other road).

TC

CCF/Nodal
[illegible] 27/09/22

भवदीय,
/
(डॉ०प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एचओएफएफ)वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड(बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

26.09.2022
(डॉ०प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1158 /11सी- FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 27 2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, सहारनपुर एवं मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

Lt. ST Page No.1715